EAST COAST RAILWAY

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Principal Chief Personnel Officer
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर - 751017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No.156/2019 **RBE:- 107/2019**

पूतरे/कार्मिक/आर/ECoR/Pers/R/Allowance **Date: 15.07.2019**

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकरी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Amendment to Chapter 15 of the Indian Railway Establishment Code Volume-II, Sixth Edition, 1987 (Second Reprint Edition, 2005).

******

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं. E(P&A)II-2009/RS-17 दिनांक 03.07.2019 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's Lr. No- E(P&A)II-2009/RS-17 dated 03.07.2019 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(G.Sethy)
Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
4) वकाधि(स्टाफ), वकाधि(मुख्या. एवं न्याया.)
5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण), सहा.कार्मिक अधि.(बिल).

क्र.सं/Sl.No. RB-1514
दिनांक/Date 8/7/19
आद्याक्षर/Initial

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

RBE No. 107/2019.

No. E(P&A)II-2009/RS-17

New Delhi, dated 03.07.2019.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.
ECoR/ Bhubaneswar

Subject: **Amendment to Chapter 15 of the Indian Railway Establishment Code Volume-II, Sixth Edition 1987 (Second Reprint Edition 2005).**

+++++

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Section III and IV of Chapter 15 of the Indian Railway Establishment Code Volume-II, Sixth Edition 1987 (Second Reprint Edition 2005) may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No. 64.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

DA: Advance Correction Slip.

(N.P. SINGH)
Joint Director, E(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)II-2009/RS-17

New Delhi, dated 03.07.2019.

Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)II-2009/RS-17

New Delhi, dated 03.07.2019.

Copy to :-

(1) The FA & CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
(2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

contd...2

No. E(P&A)II-2009/RS-17 **New Delhi, dated 03.07.2019.**

Amendment to Chapter 15 of the Indian Railway Establishment Code Volume-II, Sixth Edition 1987 (Second Reprint Edition 2005).

Advance Correction Slip No. 64.

Section III and IV of Chapter 15 of the Indian Railway Establishment Code Volume-II, Sixth Edition 1987 (Second Reprint Edition 2005) should be substituted with the following:-

Section III - Allowances for Chief Loco Inspectors and Chief Loco Inspectors (CCC/CPRC/CTLC).

1514. Running Allowance shall be admissible to the Loco Inspectors drawn from the Loco Running Staff for the performance of duties directly connected with the training and monitoring of loco running staff on foot plate of the locomotive cab of the moving trains.

1515. Types of allowances:

1. The Chief Loco Inspectors shall be paid:
   a. Kilometreage Allowance (KMA) for actual Kilometreage travelled on foot plate while employed on foot plate duties indicated in Rule 1514 above. KMA shall be paid at the rate applicable to Loco Pilot (Mail/Express) as notified from time to time.
   b. Allowance in lieu of Kilometreage (ALK) at the rate of 160 kilometres per day while employed on other than foot plate outside their headquarters beyond a radius of 8 kilometres.
   c. ALK at the rate of 120 kilometers per day for other than footplate duties performed in the Headquarter or within a radius of 8 km. from the Headquarter.
   d. Where the Chief Loco Inspectors are deployed for foot plate duties indicated in Rule 1514 for part of the day and for other than foot plate duties in the moving train or at outstation for the remaining part of the day, the payment of KMA/ALK shall be made either in terms of (a) or (b) above, whichever is higher.
   e. The CLIs who are posted as CLIs (CCC, CPRC & CLTC) would get ALK of 120 Km. per day at the rate applicable to a Loco Pilot (Mail/Express) for stationary duties in the HQ and within a radius of 8 kms. ALK of 120 Kms. would be payable for all days in a month without any deduction on the non-working days.
2. No TA/DA or any other special allowance shall be admissible unless specifically sanctioned by Railway Board.

Section IV - Allowances for Loco Pilots drafted to perform the duties of Crew Controllers/Power Controllers/Traction Loco Controllers.

contd…2

2

No. E(P&A)II-2009/RS-17 New Delhi, dated 03 .07.2019.

1516.

1. Allowance in lieu of Kilometreage (ALK) of 120 kilometres shall be admissible to Loco Pilots drafted to perform the duties of Power Controllers/Crew Controllers/Traction Loco Controllers at the rates applicable to them and would be payable for all days in a month without any deduction on the non-working days

2. No TA/DA or Special Pay shall be admissible to the Loco Pilots drafted to perform the duties of Power Controllers/Crew Controllers/Traction Loco Controllers.

3. No other special allowance shall be admissible unless specifically sanctioned by the Railway Board.

(Authority Board's letter No. E(P&A)II/2009/RS-17 dated 03.07.2019, ACS No. 64).

******

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 107 /2019.

सं.ई(पीएंडए)II-2009/आरएस-17 नई दिल्ली, दिनांक: 03.07.2019.

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II, छठा संस्करण 1987 (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2005) के अध्याय 15 में संशोधन.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द -II, छठा संस्करण 1987 (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2005) के अध्याय 15 का खंड III एवं IV संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.--64--- के अनुसार संशोधित किया जाए.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

संलग्न: अग्रिम शुद्धि पर्ची.

(एन.पी.सिंह)
संयुक्त निदेशक, ई(पीएंडए)
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पीएंडए)II-2009/आरएस-17 नई दिल्ली, दिनांक: 03.07.2019.

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें.

सं.ई(पीएंडए)II-2009/आरएस-17 नई दिल्ली, दिनांक: 03.07.2019.

प्रतिलिपि प्रेषित:

(1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
(2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ.

सं.ई(पीएंडए)II-2009/आरएस-17 नई दिल्ली, दिनांक: 03..07.2019.

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II, छठा संस्करण 1987 (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2005) के अध्याय 15 में संशोधन.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-64

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II, छठा संस्करण 1987 (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2005) के अध्याय 15 का खंड III एवं IV निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

धारा III - मुख्य लोको निरीक्षक और मुख्य लोको निरीक्षक (सीसीसी/सीपीआरसी/सीटीएलसी) के लिए भत्ते.

1514. चलती गाड़ियों के रेल इंजन कैब की फुट प्लेट पर लोको रनिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा मॉनीटरिंग से प्रत्यक्षतः संबंधित ड्यूटियों के निष्पादन के लिए लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा आहरित रनिंग भत्ते लोको निरीक्षकों को स्वीकार्य होंगे.

1515. भत्तों के प्रकार:

1. मुख्य लोको निरीक्षकों को निम्न का भुगतान किया जाए:

   क. उपर्युक्त नियम 1514 में दर्शाई गई फुट प्लेट ड्यूटियों में नियुक्ति के समय फुट प्लेट पर की गई वास्तविक कि.मी. यात्रा के लिए किलोमीटर दूरी भत्ता का लोको पायलट(मेल/एक्सप्रेस) को अनुमेय दरों पर समय-समय पर अधिसूचित दरों पर भुगतान किया जाएगा.

   ख. मुख्यालय से बाहर 8 कि.मी. के घेरे में फुट प्लेट के अलावा कहीं और नियुक्ति के समय 160 कि.मी. प्रतिदिन की दर पर किलोमीटर दूरी के बदले भत्ता.

   ग. मुख्यालय में अथवा मुख्यालय से बाहर 8 कि.मी. के घेरे में किए गए फुट प्लेट ड्यूटियों के अलावा 120 किलोमीटर प्रति दिन की दर पर किलोमीटर दूरी के बदले भत्ता.

   घ. जहां मुख्य लोको निरीक्षक दिन के एक भाग के लिए नियम 1514 में दर्शाई गई फुट प्लेट ड्यूटियों के लिए तथा दिन के बाकी भाग के लिए चलती गाड़ियों में फुट प्लेट के अलावा किसी अन्य ड्यूटियों के लिए अथवा बाह्य स्टेशन पर तैनात किए जाते हैं, किलोमीटर दूरी भत्ते का भुगतान उपर्युक्त (क) अथवा (ख) जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाए.

pcpo

ड. वह मुख्य लोको निरीक्षक जो मुख्य लोको निरीक्षक के रूप में (सीसीसी, सीपीआरसी एवं सीएलटीसी) तैनात है, उसे मुख्यालय में और मुख्यालय के 8 कि.मी. के घेरे में स्टेशनरी ड्यूटी के लिए लोको पायलट (मेल/एक्सप्रेस) के अनुमेय दर पर प्रतिदिन 120 कि.मी. किलोमीटर दूरी भत्ता का भुगतान किया जाएगा. महीने में सभी दिनों के लिए 120 कि.मी. किलोमीटर दूरी भत्ता गैर-कार्य दिवस में बिना कोई कटौती किए भुगतान किया जाएगा.

2. कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या कोई अन्य विशेष भत्ता, जब तक कि रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत नहीं किया गया हो, स्वीकार्य नहीं होगा.

खंड IV - क्रू नियंत्रकों/पावर नियंत्रकों/कर्षण लोको नियंत्रकों को ड्यूटी निष्पादित करने के लिए लोको पायलटों के भत्ते.

सं.ई(पीएंडए)II-2009/आरएस-17 **नई दिल्ली, दिनांक: 03.07.2019.**

1516.

1. पावर नियंत्रकों/क्रू नियंत्रकों/कर्षण लोको नियंत्रकों की ड्यूटी निष्पादित करने के लिए लगाए गए लोको पायलटों को 120 कि.मी. के किलोमीटर भत्ते के बदले में भत्ता उनको लागू दरों पर अनुमेय होगा और महीने में सभी दिनों के लिए गैर-कार्य दिवस में बिना कोई कटौती किए भुगतान किया जाएगा.

2. पावर नियंत्रकों/क्रू नियंत्रकों/कर्षण लोको नियंत्रकों को ड्यूटी को निष्पादित करने के लिए लगाए गए लोको पायलटों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या विशेष वेतन स्वीकार्य नहीं होगा.

3. अन्य कोई विशेष भत्ता, जब तक कि रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत नहीं किया गया हो, स्वीकार्य नहीं होगा.

(प्राधिकार बोर्ड का पत्र सं. ई(पीएंडए)II-2009/आरएस-17 दिनांक 03 ..07.2019, अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-64--)

*****